संख्या:01/2025/31ई-2/तेरह-2025-99077

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:07 जनवरी, 2025

विषय- मेसर्स मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्रा०लि०, नगीना रोड, जनपद बिजनौर आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 90 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर 130 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 220 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-97/दो-प्रा.डी.-70/ मोहित आसवनी, बिजनौर, दिनांक 25.11.2024 एवं पत्र संख्या-जी-105/दो-प्रा.डी.-70/मोहित आसवनी, बिजनौर, दिनांक 19.12.2024 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 31.12.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 07.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों दिनांक 25.11.2024 एवं 19.12.2024 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि., नगीना रोड, जनपद बिजनौर, आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 90 लाख लीटर (25.71 प्रतिशत) वार्षिक को बढ़ाकर 130 लाख लीटर (37.14 प्रतिशत) वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 220 लाख लीटर (62.86 प्रतिशत) वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापति प्रमाण-पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैए अतरू इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से से सत्यारपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के पास शीरा संचय की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

(घ) एफ.एल.-3ए. अनुज्ञापन के अधीन इकाई में बॉटलिंग करने वाली मेसर्स रॉक एण्ड स्टोर्म डिस्टिलरीज प्रा०लि०, गांव छाजली, झाखल, लेहरागग्गा रोड, सुनाम जिला सेंगरूर पंजाब को प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य में आबकारी व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित न किया गया हो।

(ड.) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) इस संबंध में शासनादेश संख्या 86/2021/2314ई-2/तेरह-2019-99077, आबकारी अनुभाग-2, दिनांक 17.12.2021 में लगाये गये प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

(ज) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्या:01/2025/31(1)ई-2/तेरह-2025-99077,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन ।

(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।

(4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैए अतरू इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से से सत्यारपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in